झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

118
15/01/2026

अधिसूचना

संख्या 13/ने. 06–09/2025 : .... नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सतत् अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं उत्कृष्टतम् विद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित किए जाने के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, **नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026** बनाते हैं :–

अध्याय–1

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

(i) यह नियमावली, **नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026** कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण झारखण्ड राज्यान्तर्गत होगा।

(iii) यह नियमावली अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

अध्याय–2

2. **परिभाषाएँ** :– जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में –

(i) **''शीर्ष निकाय''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय का शीर्ष निकाय।

(ii) **''सामान्य निकाय''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय का सामान्य निकाय।

(iii) **''कार्यकारिणी समिति''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की कार्यकारिणी समिति।

(iv) **''विद्यालय प्रबंध समिति''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की प्रबंध समिति।

(v) **''निविदा एवं क्रय समिति''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की बहु–स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति।

(vi) **''अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष''** से अभिप्रेत है, इस नियमावली अंतर्गत गठित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।

(vii) **''प्राचार्य''** से अभिप्रेत है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नियुक्त प्राचार्य।

(viii) **''अभिभावक''** से अभिप्रेत है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के जैविक/वैधिक घोषित माता–पिता।

अध्याय – 3

3. नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सतत् अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं उत्कृष्टतम् विद्यालय के रूप में पुनर्स्थापित किए जाने के उद्देश्य को दृष्टिपथ में रखते हुए नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रबंधन एवं संचालन हेतु निम्नांकित 04 स्तरीय निकाय गठित होगी :–

(*i*) **"शीर्ष निकाय"** (*Apex Body*) –

1. विद्यालय के राज्य के प्रीमियर विद्यालय के रूप में विकास के संबंध में त्वरित निर्णय एवं कार्रवाई हेतु शीर्ष स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में **"शीर्ष निकाय"** (*Apex Body*) गठित होगी, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 12 सदस्य होंगे :–

(1) माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार – **पदेन अध्यक्ष,**
(2) माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य–सह–उपाध्यक्ष,**
(3) मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य,**
(4) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य,**
(5) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य,**
(6) प्रधान सचिव / सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य सचिव,**
(7) प्रधान सचिव / सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य,**
(8) प्रधान सचिव / सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य,**
(9) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य,**
(10) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सी.बी.एस.ई. विद्यालय के 01 उत्कृष्ट प्राचार्य, 01 ए.आई. / रोबोटिक्स विशेषज्ञ तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 01 पूर्ववर्त्ती छात्र – **राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य।**

शीर्ष निकाय की बैठक में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से अधिकतम् 05 विशेषज्ञ सदस्यों / विषय से संबंधित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकेगा, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होगा।

2. शीर्ष निकाय द्वारा –

(*i*) विद्यालय के संबंध में आवश्यक नीतियों के निर्धारण, यथा – नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों एवं कर्मियों की नियुक्ति हेतु नियमावली के गठन, स्वीकृति एवं अनुमोदन / संशोधन, निर्धारित नीतियों से संबंधित आवश्यक निर्णयों को लागू किए जाने / उनके समयबद्ध अनुपालन के संबंध में की गयी कार्रवाई तथा जहां आवश्यक / अनिवार्य हो, उनके अनुमोदन / सैद्धांतिक सहमति पर विचार किया जाएगा तथा इस संबंध में मार्गनिदेश निर्गत किए जाने एवं समयरेखा निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी।

(*ii*) विद्यालय के बुनियादी ढ़ांचे और पाठ्यक्रम के सी.बी.एस.ई. मानकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण, व्यावहारिक शिक्षा के लिए उन्नत लैब, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास एवं उपयोग, वैश्विक मानक ए.आई., प्रयोगशालाओं और मॉडल सुविधाओं के निर्माण तथा छात्र / छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम और रोजगार के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के प्रयासों एवं इस हेतु की गयी कार्रवाई पर बिंदूवार विचार किया जाएगा।

3. शीर्ष निकाय की वर्ष में कम से कम 01 बार, माह मई–जून में अथवा सुविधानुसार बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 06 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। सामान्यतः आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अत्यंत विशेष स्थितियों में मत विभाजन द्वारा निर्णय की अनुमति होगी। बैठक की तिथि की सूचना कम से कम 01 सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से दी जाएगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

4. शीर्ष निकाय के निर्णयों के समयबद्ध अनुपालन कराए जाने की जवाबदेही, सामान्य निकाय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की होगी।

(*ii*) "**सामान्य निकाय**" (*General Body*) –

1. नेतरहाट आवासीय विद्यालय से संबंधित निर्णयों के त्वरित क्रियान्वयन एवं कार्रवाई की समीक्षा हेतु माननीय विभागीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में "**सामान्य निकाय**" (*General Body*) का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 15 सदस्य होंगे :–

(1) माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार – **पदेन अध्यक्ष**,
(2) विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य–सह–उपाध्यक्ष**,
(3) प्रधान सचिव/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार – **पदेन सदस्य सचिव**,
(4) आयुक्त, पलामू प्रमंडल – **पदेन सदस्य**,
(5) उपायुक्त, लातेहार – **पदेन सदस्य**,
(6) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची – **पदेन सदस्य**,
(7) वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा मनोनीत – **पदेन सदस्य**, संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून 01 पदाधिकारी
(8) सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून 01 पदाधिकारी– **पदेन सदस्य**,
(9) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा मनोनीत संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून 01 पदाधिकारी– **पदेन सदस्य**,
(10) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य**,
(11) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सी.बी.एस.ई. विद्यालय के 01 उत्कृष्ट प्राचार्य, 01 ए.आई./रोबोटिक्स विशेषज्ञ, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 01 पूर्ववर्त्ती छात्र तथा 02 अभिभावक – **सामान्य निकाय द्वारा मनोनीत सदस्य**।

118
15/01/2026

सामान्य निकाय की बैठक में अध्यक्ष की पूर्वानुमति से अधिकतम् 05 विशेषज्ञ/आमंत्रित सदस्यों को विचार–विमर्श/सुझाव हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा, परंतु यह बाध्यकारी नहीं होगा।

2. सामान्य निकाय द्वारा –

(*i*) विद्यालय के संबंध में अन्य आवश्यक नीतियों के निर्धारण, उनसे संबंधित आवश्यक निर्णयों को लागू किए जाने, उनके समयबद्ध अनुपालन के संबंध में की गयी कार्रवाई के अनुमोदन/सैद्धांतिक सहमति पर विचार किया जाएगा तथा इस संबंध में मार्गनिदेश निर्गत किए जाने एवं समयरेखा निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी जाएगी।

(*ii*) विद्यालय के बुनियादी ढ़ांचे और पाठ्यक्रम के सी.बी.एस.ई. मानकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण, व्यावहारिक शिक्षा के लिए उन्नत लैब, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास एवं उपयोग, वैश्विक मानक ए.आई., प्रयोगशालाओं और मॉडल सुविधाओं के निर्माण, छात्र/छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम और रोजगार के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के प्रयासों एवं इस हेतु की गयी कार्रवाई तथा विद्यालय के लेखा के अंकेक्षण के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट/अंकेक्षक की नियुक्ति, उससे प्राप्त लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन पर विचार तथा प्राप्त आपत्तियों के अनुपालन

आदि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर कृत्त कार्रवाई के संबंध में विस्तृत विचार किया जाएगा एवं जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

3. **सामान्य निकाय द्वारा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों तथा सभापति का मनोनयन/चयन, राज्य सरकार द्वारा संस्था के सदस्य के रूप में मनोनीत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्व छात्रों से जारी रखा जाएगा**। इस हेतु कम से कम 45 दिन पूर्व राज्य के 02 समाचार पत्रों में इच्छा की अभिव्यक्ति/सूचना का प्रकाशन करते हुए इच्छुक पूर्ववर्त्ती छात्रों, जिनके पास कम से कम 10 वर्षों का प्रशासनिक/शैक्षणिक एवं शोध/प्रबंधन/विज्ञान अथवा कला/समकक्ष क्षेत्र में कार्यानुभव हो तथा संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट/गणना योग्य योगदान किया गया हो, से ऑन लाईन आवेदन पत्र की मांग की जाएगी, उसकी स्क्रूटनी उपरांत आपत्ति एवं पक्ष की भी मांग की जाएगी तथा सभापति के चयन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

4. सामान्य निकाय की वर्ष में कम से कम 02 बार, माह अगस्त तथा नवम्बर में अथवा सुविधानुसार बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 08 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। सामान्यतः आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा। अत्यंत विशेष स्थितियों में मत विभाजन द्वारा निर्णय की अनुमति होगी। बैठक की तिथि की सूचना कम से कम 01 सप्ताह पूर्व आवश्यक रूप से दी जाएगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

5. निर्णयों के समयबद्ध अनुपालन की जवाबदेही, विषय अनुरूप, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड, रांची/उपायुक्त, लातेहार एवं प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय–सह–अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की होगी।

(iii) "**कार्यकारिणी समिति**" (*Executive Committee*) –

1. निर्णयों के संबंध में त्वरित कार्रवाई तथा समयबद्ध अनुपालन हेतु "**कार्यकारिणी समिति**" (*Executive Committee*) का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 12 सदस्य होंगे :–

(1) सामान्य निकाय द्वारा संस्था के सदस्य के रूप में मनोनीत नेतरहाट आवासीय विद्यालय के पूर्व छात्रों से मनोनीत/चयनित सभापति – **पदेन अध्यक्ष**,

(2) विभाग/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, रांची द्वारा उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के मनोनीत विभागीय पदाधिकारी – **पदेन सदस्य**,

(3) उपायुक्त, लातेहार द्वारा उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता स्तर से अन्यून स्तर के मनोनीत पदाधिकारी – **पदेन सदस्य**,

(4) वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के उप सचिव स्तर से अन्यून स्तर के 01 पदाधिकारी – **पदेन सदस्य**,

(5) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य सचिव**,

(6) प्रशासी पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य**,

(7) लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य**,

(8) सी.बी.एस.ई. विद्यालय के 01 उत्कृष्ट प्राचार्य, 01 ए.आई./रोबोटिक्स शिक्षक तथा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 02 पूर्ववर्त्ती छात्र तथा 01 अभिभावक– **सामान्य निकाय द्वारा मनोनीत सदस्य**।

2. कार्यकारिणी समिति द्वारा –

(*i*) विद्यालय के संबंध में निर्धारित नीतियों के अनुपालन, आवश्यक निर्णयों को लागू किए जाने, उनके समयबद्ध अनुपालन के संबंध में की गयी कार्रवाई तथा अनुपालन/प्राप्त लक्ष्य के प्रतिशत के संबंध में विचार किया जाएगा। साथ ही, छूटे हुए/शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु उपायों/कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

(*ii*) कार्यकारिणी समिति द्वारा विद्यालय के सुसंचालन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु प्राचार्य/उप प्राचार्य/सुयोग्य वरीयतम शिक्षक की अध्यक्षता में गठित विभिन्न उप समितियों के कार्य निष्पादन के प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि प्राचार्य, उप प्राचार्य, समिति से संलग्न किए गए सभी जवाबदेह शिक्षकों एवं कर्मियों के वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र में भी प्रत्येक वर्ष की जाएगी।

(*iii*) कार्यकारिणी समिति, केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/पी.एस.यू./निजी संस्थानों अथवा किसी व्यक्ति से चल/अचल संपदा के रूप में अनुदान/चंदा स्वीकार करने, जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के प्रतिकूल न हो अथवा लोक/निजी संस्थानों अथवा किसी व्यक्ति के साथ करार/संकल्प एवं ऐसे अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति की सहमति से प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के हस्ताक्षर को अनुमोदन/सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर सकेगी।

(*iv*) कार्यकारिणी समिति, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बजट प्राक्कलनों के सूत्रण एवं अनुमोदन, व्यय की स्वीकृति, निविदा निर्धारण, संविदा विलेखों का लेखन एवं कार्यान्वयन, संस्था की निधियों का निवेश, उनके विक्रय अथवा संपरिवर्त्तन, लेखा एवं अंकेक्षण, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श कर उसे अंतिम रूप देने तथा ऐसे अन्य विषय, जो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं दायित्वों के उचित निर्वाहन हेतु आवश्यक हो, हेतु सक्षम प्राधिकार होगी।

3. कार्यकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 02 बार, माह अगस्त एवं दिसम्बर में अथवा सुविधानुसार बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 06 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। सामान्यतः आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा, परंतु, अपरिहार्य मामलों में मत विभाजन द्वारा भी निर्णय की अनुमति होगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

4. कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही, बैठक की तिथि से 07 दिनों के अंदर विद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(*iv*) "**विद्यालय प्रबंध समिति**" (*School Management Committee*) –

1. विद्यालय के कार्यों के सुचारू एवं त्वरित संपादन तथा निर्णयों के संबंध में त्वरित कार्रवाई एवं समयबद्ध अनुपालन हेतु प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय की अध्यक्षता में "**विद्यालय प्रबंध समिति**" (*School Management Committee*) का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित निम्नांकित 12 सदस्य होंगे :–

(1) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन अध्यक्ष**,

(2) उपायुक्त, लातेहार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से अन्यून मनोनीत पदाधिकारी – **पदेन सदस्य**,

(3) जिला शिक्षा पदाधिकारी, लातेहार – **पदेन सदस्य**,
(4) उपायुक्त, लातेहार द्वारा मनोनीत अभियंता, भवन निर्माण विभाग अथवा अन्य कार्यकारी विभाग/एजेंसी के मनोनीत अभियंता, लातेहार जिला – **पदेन सदस्य**,
(5) उप प्राचार्य/वरीयतम मनोनीत शिक्षक, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य सचिव**,
(6) प्रशासी पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य**,
(7) लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय – **पदेन सदस्य**,
(8) नेतरहाट आवासीय विद्यालय के 01 शिक्षक, 01 पूर्ववर्त्ती छात्र तथा 03 अभिभावक – **कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत सदस्य**।

2. विद्यालय प्रबंध समिति की जवाबदेही होगी कि –

(*i*) वह विद्यालय के बुनियादी ढ़ांचे और पाठ्यक्रम के सी.बी.एस.ई. मानकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों को ससमय एवं गुणवत्ता सहित पूर्ण किए जाने, व्यावहारिक शिक्षा के लिए उन्नत लैब, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास एवं उपयोग, छात्र/छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षण परिणाम और रोजगार के लिए तत्परता सुनिश्चित करने के प्रयासों एवं इस हेतु की गयी कार्रवाई से संबंधित पहलू, छात्र/छात्राओं के बेहतर आवासन, भोजनादि व्यवस्थाओं के संचालन एवं मानक अनुसार वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित कराए जाने के कार्यों को पूर्ण कराएगी।

(*ii*) वह, विद्यालय की गुणवत्ता आधारित शैक्षणिक प्रगति, वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन, सामग्रियों के रख–रखाव आदि से संबंधित निर्णयों के अनुपालन एवं संपादन का कार्य सुनिश्चित कराएगी तथा इस हेतु विद्यालय के प्रशासी पदाधिकारी तथा प्राचार्य को समुचित मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराएगी, ताकि विद्यालय, कौशल आधारित शिक्षा हेतु एक उच्च गुणवत्ता के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके।

(*iii*) वह, विद्यालय के सुसंचालन, प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु प्राचार्य/उप प्राचार्य/सुयोग्य वरीयतम शिक्षक की अध्यक्षता में विभिन्न उप समितियों, यथा – शैक्षणिक प्रगति एवं नवाचार समिति, व्यावसायिक शिक्षण एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण समिति, अनुशासन समिति, नामांकन समिति, मेस समिति, खेल–कूद, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, आदि के गठन एवं उनके कार्य निष्पादन के प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कार्यकारिणी समिति को उपलब्ध कराएगी। उक्त समिति में सम्मिलित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम् 02 वर्ष होगा एवं बीच में परिवर्त्तन हेतु कार्यकारिणी समिति का पूर्व/पश्चात् अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त समितियों

3. विद्यालय प्रबंध समिति की प्रत्येक 02 माह में बैठक की जाएगी तथा निर्णयों हेतु 06 सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष होगा।

4. विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक की कार्यवाही, बैठक की तिथि से 07 दिनों के अंदर विद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अध्याय – 4

(6) **विद्यालय के सुचारू वित्तीय प्रबंधन के लिए तीन स्तरों पर क्रय सह निविदा समितियों के गठन का प्रस्ताव है :–**

(*i*) **विद्यालय स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति (School Level Tender and Purchase Committee) –**

क्र0 सं0	निविदा एवं क्रय समिति	पद का नाम
1.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	अध्यक्ष
2.	उप प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य सचिव
3.	लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य
4.	प्रशासनिक पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य
5.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा नामित दो शिक्षक	सदस्य
6.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा नामित एक आश्रमाध्यक्ष	सदस्य

कार्य :–

- विद्यालय के दैनिक प्रबंधन एवं व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्रियों की निविदा का आमंत्रण, मूल्यांकन एवं क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करना।
- आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं आपूर्ति की निगरानी एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
- सामग्रियों के निविदा, क्रय एवं आपूर्ति के क्रम में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रावधान, प्रक्रिया एवं *Procurement Manual* के सुसंगत प्रावधानों को सुनिश्चित करना।
- यह समिति अधिकतम् 20 लाख रुपये की राशि के अंतर्गत क्रय करने हेतु प्राधिकृत होगी।

118
15/01/2026

(*ii*) **जिला स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति (District Level Tender and Purchase Committee) –**

यह समिति उपायुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में गठित होगी, जो विद्यालय हेतु 50 लाख रुपये के सीमा अधीन एवं वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रावधान, प्रक्रिया एवं *Procurement Manual* के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत विद्यालय भवन, उन्नत लैब, छात्रावास, विद्यालय प्रबंधन एवं रख–रखाव हेतु वांछित आवश्यकता की पूर्ति हेतु निविदा के आमंत्रण एवं क्रय हेतु प्राधिकृत होगी।

क्र0 सं0	जिला स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति	पद का नाम
1.	उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	उप विकास आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
4.	वाणिज्य कर विभाग का एक पदाधिकारी (उपायुक्त द्वारा नामित)	सदस्य
5.	महाप्रबंधक, उद्योग विभाग	सदस्य
6.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य–सचिव

7.	प्रशासनिक पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य
8.	लेखा पदाधिकारी, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य

(iii) **राज्य स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति (State Level Tender and Purchase Committee) –**

यह समिति विद्यालय की 50 लाख रुपये से ऊपर की राशि की आधारभूत संरचना के निर्माण, उपस्कर, सामग्री आदि के क्रय करने हेतु प्राधिकृत होगी तथा निर्धारित कार्यों से संबंधित डी.पी.आर. तैयार कराते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तैयार डी.पी.आर. की प्रति संलग्न कर राज्य परियोजना कार्यालय को कार्यकारी एजेंसी के माध्यम से कार्य कराने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा।

क्र0 सं0	राज्य स्तरीय निविदा एवं क्रय समिति	पद का नाम
1.	राज्य परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची	सदस्य
3.	क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल अथवा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव/प्रधान सचिव के द्वारा नामित पदाधिकारी	सदस्य
4.	वित्त विभाग द्वारा नामित विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
5.	उद्योग विभाग द्वारा उप सचिव स्तर से अन्यून नामित पदाधिकारी	सदस्य
6.	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय	सदस्य–सचिव
7.	माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा उप सचिव स्तर से अन्यून नामित एक पदाधिकारी	सदस्य

अध्याय – 5

(7) नेतरहाट आवासीय विद्यालय का कोष, संविदा एवं करार तथा लेखा अंकेक्षण, वित्त एवं वार्षिक प्रतिवेदन :–

(i) "नेतरहाट आवासीय विद्यालय का कोष", राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान, केन्द्र सरकार सहित राज्य सरकार एवं अन्य विधिमान्य निकायों, सम्मानित व्यक्तियों, संगठनों, दानदाताओं से प्राप्त अनुदान एवं दान से, यदि कोई हो, प्राप्त विविध शुल्क, यदि कोई हो एवं निजी साधनों से प्राप्त आय से निर्मित होगा।

परंतु राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि को झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के नियमों में विहित प्रावधान अंतर्गत रखा जाएगा तथा इससे इतर राशि को राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त बैंक शाखा में रखा जाएगा।

(ii) नेतरहाट आवासीय विद्यालय की ओर से सभी संविदा एवं करार, सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति–सह–प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(iii) प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय–सह–अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय के आय–व्यय से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन करेंगे। इस क्रम में

उनके द्वारा सक्षम स्तर से पूर्व अथवा पश्चात् अनुमोदन/सैद्धांतिक स्वीकृति, जैसा भी उपबंधित हो, प्राप्त किया जाएगा।

(*iv*) वे प्रतिवर्ष, पूर्व निर्धारित तिथि तक, आगामी वर्ष का बजट, विद्यालय प्रबंध समिति एवं कार्यकारिणी समिति से पारित कराते हुए, प्रशासी विभाग, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, रांची को समर्पित करेंगे।

(*v*) विभाग द्वारा, विभागीय बजट में उक्त अनुदान का प्रावधान कराते हुए, स्वीकृत /पारित बजट की संपूर्ण राशि, विद्यालय को सहायक अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी।

(*vi*) विद्यालय की कुल आय, चल–अचल संपत्ति का संपूर्ण उपयोग इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पारदर्शितापूर्वक किया जाएगा तथा वार्षिक अंकेक्षण, निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म एवं राज्य सरकार की एजेंसी, दोनों माध्यमों से कराया जाएगा तथा प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय द्वारा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। सामान्य निकाय अथवा कार्यकारिणी समिति, समुचित कारण उपलब्ध रहने की स्थिति में, अलग से भी विद्यालय के लेखा को किसी भी समय महालेखाकार अथवा अंकेक्षण एजेंसी से कराए जाने हेतु सक्षम होगी।

अध्याय – 6

(8) **नेतरहाट आवासीय विद्यालय में कक्षा–06 में नामांकन की प्रक्रिया का निर्धारण** :–

(*i*) नेतरहाट आवासीय विद्यालय में छात्र–छात्राओं के नामांकन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा सामान्य निकाय द्वारा प्राधिकृत एजेंसी के द्वारा ली जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा, दोनों में उत्तीर्णता के आधार पर तैयार आरक्षण कोटिवार चयन सूची होगी, जिसमें 33 प्रतिशत स्थान बालिकाओं हेतु कोटिवार क्षैतिज रूप से आरक्षित होगी। वर्षवार/बैचवार, वर्त्तमान सीटों की संख्या अगले 03 वर्षों में 02गुनी तथा 05 वर्षों में 03गुनी किए जाने का लक्ष्य है। प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे तथा इस हेतु आरक्षण कोटिवार न्यूनतम् उत्तीर्णांक एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा विषयों के चयन हेतु अलग से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित करते हुए निर्णय लिया जाएगा।

118
15/01/2026

(*ii*) वर्त्तमान में नेतरहाट आवासीय विद्यालय में 03 आश्रमों का समूह है, जिसमें प्रत्येक में 07 छात्रावासों का समूह है, अर्थात् कुल 21 छात्रावास हैं। प्रत्येक छात्रावास की वर्त्तमान क्षमता 25 छात्रों की है, जिसे अधिकतम् 50 तक बढ़ाया जा सकता है। नए सिरे से बहुमंजिले छात्रावास भवन का आधुनिक सुविधाओं का समावेश करते हुए निर्माण अपेक्षित है।

अध्याय – 7

(9) **नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकों, तृतीय वर्ग कर्मियों एवं अन्य की नियुक्ति हेतु नियमावली के गठन, अनुशासनिक कार्रवाई, आदि से संबंधित प्रावधानों में परिवर्त्तन** :–

(*i*) वर्ष 2010 के पूर्व, इस विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी तथा शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति विहित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए प्राचार्य द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा एवं कार्यकारिणी समिति के अनुमोदनोपरांत की जाती थी। विद्यालय में प्राचार्य के 01 पद, चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रशासी पदाधिकारी के 01–01 पद, शिक्षकों के 47 पद, तृतीय वर्ग कर्मियों के 46 पद एवं चतुर्थ वर्ग कर्मियों के 92 पद तत्समय स्वीकृत थे। उक्त अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की अंतिम नियुक्ति वर्ष 1997 में तथा तृतीय वर्ग कर्मियों की अंतिम नियुक्ति वर्ष 1990 में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर की गयी थी।

(*ii*) विभागीय अधिसूचना सं. स.स.01/न 1–01/2010–08 दिनांक 04.02. 2012 द्वारा नेतरहाट विद्यालय समिति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित **नियुक्ति, सेवा शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011** को अनुमोदित किया गया था। उक्त अधिसूचना द्वारा प्रवृत्त नियुक्ति, सेवा शर्त्त तथा अनुशासन नियमावली, 2011 के अंतर्गत, कार्यकारिणी समिति द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति एवं चयन समिति द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों का अनुबंध के आधार पर वर्त्तमान में नियुक्ति की जाती है।

(*iii*) वर्त्तमान में इस विद्यालय का शैक्षणिक प्रदर्शन निरंतर ढ़लान पर है, विद्यालय में शिक्षकों के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, वर्ग 10वीं के बाद विज्ञान एवं गणित विषयों के चयन हेतु बहुत ही कम छात्र विद्यालय में टिक पाते हैं, शिक्षकों के प्रदर्शन की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप नहीं है, उनकी नियुक्ति नेतरहाट विद्यालय समिति के सभापति एवं प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर की जाती है, आदि।

(*iv*) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने हेतु **नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्त्त नियमावली, 2026** का गठन साथ–साथ प्रक्रियाधीन है।

<u>अध्याय – 8</u>

(10) **प्रकीर्ण :–**

i) **नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026** के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर, उस कठिनाई को दूर करने के लिए, सामान्य निकाय, समुचित स्पष्टीकरण/निर्णय ले सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या निर्णय, मूल संकल्प/इस अधिसूचना के अंग माने जायेंगे।

ii) उपर्युक्त स्पष्टीकरण/निर्णय को प्रसारित किए जाने हेतु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश से निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, आदेश/स्पष्टीकरण निर्गत कर सकेगें, जिसका अनुपालन करना आवश्यक होगा।

(11) **निरसन एवं व्यावृति :–**

इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद्विषयक पूर्व में मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रांची की अधिसूचना सं. 01/न 1–01/2010–187 दिनांक 09.11.2010 द्वारा प्रवृत्त नेतरहाट विद्यालय समिति नियमावली, 2010 एवं सभी विभागीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम, यथा – संकल्प सं. 01/न 1–01/2004–323 दिनांक 23.10.2009, जिसके द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय को "नेतरहाट विद्यालय समिति" के नाम से एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में परिवर्तित एवं स्थापित किया गया था, प्रतिस्थापित एवं निरसित माने जाएंगे, परंतु इस निरसन के होते हुए भी उल्लिखित विभागीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जाएगी।

(12) विभागीय संलेख ज्ञापांक 82 दिनांक 09.01.2026 के द्वारा "**नेतरहाट आवासीय विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन नियमावली, 2026**" के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 09.01.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या – 31 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

15/01/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 13/ने. 06–09/2025...118... रॉंची, दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉंची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15/01/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 13/ने. 06–09/2025...118... रॉंची, दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/01/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 13/ने. 06–09/2025...118... रॉंची, दिनांक 15/01/2026

प्रतिलिपि : महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय,रॉंची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/01/26

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के सचिव